

प्रेषक,

विनोद प्रसाद रत्नड़ी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,  
जलागम प्रबन्धन निदेशालय,  
देहरादून, उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग-2

विषय: विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP)-Phase 2 हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में Retroactive financing (पूर्वव्यापी वित्तपोषण) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 03/11-8/(ग्राम्य फेज-2)/2013-14 दिनांक 01 जुलाई, 2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय विश्व बैंक पोषित प्रस्तावित उत्तराखण्ड विकन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (UDWDP)-Phase 2 हेतु परियोजना क्षेत्रों के चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व समस्त विशेषज्ञों, क्षेत्रीय एन.जी.ओ., पार्टनर एन.जी.ओ. इत्यादि के चयन कर नियुक्त किये जाने संबंधी माह अप्रैल, 2013 से अक्टूबर, 2013 तक के व्ययों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में Retroactive financing के रूप में ₹ 172लाख (₹ एक करोड़ बहतर लाख मात्र) की सहर्ष प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति का नियमानुसार औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पृथक से यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 52(पी)/XXVII-4/2013 दिनांक 19 जुलाई, 2013 के द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( विनोद प्रसाद रत्नड़ी )  
अपर सचिव।

०।

संख्या : २०२ (1)/XIII-II/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑफिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. परियोजना निदेशक, जलागम, कुमाऊं/गढवाल, हल्द्वानी/मुनि की रेती।
5. संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित उपपरियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध, उत्तराखण्ड।
7. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( ओमकार सिंह )  
अनुसचिव।

